UPET110086222022

<u>न्यायालयः अपर मुख्य न्यायिक मजि0, जलेसर, एटा.</u>
उपस्थितः मंगल देव सिंह 'उ0प्र0 न्यायिक सेवा,
जे.ओ.कोड सं0–1995
<u>दण्डवाद संख्या– 4027 सन् 2022</u>

उत्तर प्रदेश राज्य
प्रति

1. पवन यादव पुत्र भूप सिंह उर्फ बाबा निवासी बारी का चौक कस्बा व थाना जलेसर जिला एटा। .....<u>अभियुक्त</u>

धाराः 3 / 25 आयुद्ध अधिनियम
अ.सं.: 73 सन 2020
<u>थानाः जलेसर, जिला एटा.</u>

<u>नि र्ण य</u>

1. पुलिस थाना जलेसर, जिला एटा के द्वारा अभियुक्त पवन यादव के विरूद्व मुकद्मा अपराध संख्या–73 / 2020 अन्तर्गत धारा–3 / 25 आयुद्ध अधिनियम, थाना जलेसर, जिला एटा के प्रकरण में अपराध के विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 08.03.2020 को एस0आई0 रामबहोरी शर्मा व हमराहीयान एच0सी0 398 छत्तर सिंह व का0 582 समय सिंह, का0 640 कुलदीप सिंह के थाना हाजा से हवाले रपट नं0–24 समय 14:04 बजे वास्ते देखरेख शान्ति व्यवस्था रोकथाम जुर्म जरायम चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति में रवाना होकर थाना क्षेत्र में गांव कोसमा में मामूर थे, कि जरिये खास मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति फिरोजाबाद तिराहा गांव रामलाल गढ़ी पर बैठा है। हम पुलिस वालों ने मुखबिर से पूछा कि फिर क्या बात है तो मुखबिर ने बताया तिराहे गांव रामलाल गढ़ीपर बैठा है। हम पुलिस वालों ने मुखबिर से पूछा फिर क्या बात है तो मुखबिर ने बताया कि तिराहे पर वह व्यक्ति लोगों से वाद विवाद कर रहा है और उसके पास अन्टी में तमंचा लगा है, जल्दी से जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर यकीन करके मुखबिर को साथ लेकर हम पुलिस वालों ने कोसमा से जल्दी चलकर फिरोजाबाद तिराहे के समीप पहुॅचकर 100 मीटर पहले मुखबिर ने इशारा करके बताया जो हीरो जैसा लड़का है। इसी के पास तमंचा है। हम पुलिस वालों ने तेजी से चलकर एक बारगी दबिश देकर

इस व्यक्ति को समय करीब 21:45 बजे पकड़ लिया, पकड़े हुए का नाम पता पूछते हुए जमा तलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम पवन यादव पुत्र भूप सिंह नि0 बारिक चौक कस्बा व थाना जलेसर जिला एटा बताया। इसकी जमा तलाशी से पहने हुए पेन्ट की बॉयी फैट से घुसा हुआ एक नाजायज तमंचा 315 बोर जिसकी कुल लम्बाई एक बालस्ट व नाल की लम्बाई 7 अंगूल लोहा, बड़ी की लम्बाई 4 अंगूल लोहा व बट की ल0 3 अंगूल जिस पर दोनों तरफ लकड़ी की चाप लगी है। जो एक स्कू से कसी है। तमंचे के ऊपर हैंगर व फायर पिन लगी है। तमंचे को खोलने व बांधने के लिए स्प्रिंग नुमा लोहे का एक बोल्ट लगा है। तमंचे के नीचे ट्रेगर व ट्रेगर गार्ड लगा है। जो दो पेचो से कसा है, पहने पैण्ट की दाहिनी जेब से 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। तमंचा रखने का लाईसेंस तलब किया तो दिखाने से कासिर रहा और माफी मांगने लगा। अभियुक्त व बरामद माल को पुलिस कब्जे में लिया गया, आने जाने वाले व्यक्तियो से कहा गया तो सभी ने बुराई भलाई के कारण मना कर दिया। फर्द मौके पर एस0आई0 द्वारा का0 कुलदीप से लिखवाकर पढ़ाकर सुनाकर तैयार की गयी। टॉर्च की रोशनी से फर्द लिखवाई गयी। बरामद तमंचा व कारतूस को एक सफेद कपड़े में रखकर, सिलकर सील सर्वे मुहर कर नमूना मुहर लिया गया। जिसके सम्बन्ध में उपरोक्त मुकदमा अपराध सं0–73/2020 अन्तर्गत धारा–3/25 आयुद्ध अधिनियम, थाना जलेसर, जिला एटा दर्ज किया गया।

3. प्रकरण में विवेचक उपनिरीक्षक उमेश चन्द्र द्वारा विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान विवेचक ने साक्षीगण के बयान अन्तर्गत धारा–161 द0प्र0सं0 अंकित किये तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया एवं अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्व धारा– 3/25 आयुद्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया मामला विचारण हेतु पाते हुए एवं विवेचना सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त विवेचक द्वारा उपरोक्तानुसार अभियुक्त के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्व अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया।

4. अभियुक्त को विचारण हेतु आहूत किये जाने पर वह न्यायालय में उपस्थितहुआ ओर अपनी जमानात कराई। उसे दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 207 के प्रावधान के अन्तर्गत अभियोजन के सभी आवश्यक प्रेलेखों की प्रतिलिपियॉ प्रदत्त की गयी। तदोपरान्त अभियुक्त के विरूद्व धारा–3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 01.03.2021 को आरोप विरचित किया गया, जिससे प्रत्याख्यान

(Denial) करते हुए उसके विचारण की इच्छा व्यक्त की। अतः अभियुक्त का उपरोक्त आरोप के संदर्भ में विचारण किया गया।

5. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में कुल **चार साक्षी** परीक्षित कराये गये, जिनमें पी0डब्लू01 के रूप में रामबहोरी शर्मा (एस0आई0 / वादी मुकद्मा), पी0डब्लू02 का0 582 समयसिंह, पी0डब्लू03 एच0सी0 1445 जगवीर सिंह एवं पी0डब्लू04 सेवानिवृत उपनिरक्षक उमेश चन्द्र को परीक्षित कराया गया। अन्य किसी भी साक्षी को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया। तदनुसार अभियोजन द्वारा अपनी साक्ष्य समाप्त की गयी।

6. अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में पीडब्लू–1 एस0आई0 रामबहोरी शर्मा ने अपने बयान में फर्द बरामदगी कागज सं0–5अ प्रदर्श क–1, खानगी जी0डी0 रपट सं0–24 कागज सं0–7अ / 2 एवं तमंचा जिस पर वस्तु प्रदर्श–1 एवं कारतूसों पर क्रमशः प्रदर्शक –2 व 3 डाला गया है, को सत्यापित एवं तसदीक किया गया है। पीडब्लू–02 समय सिंह द्वारा ने फर्द बरामदगी कागज सं0–5अ जिस पर प्रदर्शक क–1 अंकित को प्रमाणित किया गया है। पीडब्लू–03 एस0सी0 1445 जगवीर सिंह ने चिक एफ0आई0आर0 कागज सं0–4अ / 1 ल0 4अ / 2, जिस पद प्रदर्श क–2 अंकित है, प्रमाणित किया गया है एवं खुलासा कायमी रपट सं0–46 दिनांक 08.03.2020 कागज सं0–7अ / 1, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया है, को प्रमाणित किया गया है। पीडब्लू–04 उपनिरीक्षक उमेश चन्द्र द्वारा नक्शा नजरी कागज सं0–8अ, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया है, एवं आरोप पत्र कागज सं0–3अ / 1 ल0 3अ / 2, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया है, को प्रमाणित किया गया है एवं इस साक्षी ने अभियोजन स्वीकृति कागज सं0–9अ, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया है, तो प्रमाणित किया गया है।

7. अभियोजन की साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये, जिसमें उनके द्वारा अभियोजन साक्षीगण द्वारा झूँठे बयान दिये जाने का कथन किया है तथा सफाई साक्ष्य नहीं देने का कथन किया गया।

8. मैंने राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध

मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का गहन परिशीलन किया।

9. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य का विश्लेषण / समीक्षा अभियुक्त पर लगाये गये उक्त आरोप के तदर्थ की जानी है।

<u>अभियोजन साक्ष्य</u>

10. अभियोजन की ओर की मौखिक साक्ष्य में तथ्य के चार साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैं, उनमें **पी0डब्लू01** एस0आई0 रामबहोरी शर्मा **(वादी मुकदमा)** ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथ पर कथन किया है कि दिनांक 08.03.2020 को मैं एस0आई0 रामबहोरी शर्मा व हमराहीयान एच0सी0 398 छत्तर सिंह व का0 582 समय सिंह, का0 640 कुलदीप सिंह के थाना हाजा से हवाले रपट नं0–24 समय 14:04 बजे वास्ते देखरेख शान्ति व्यवस्था रोकथाम जुर्म जरायम चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति में रवाना होकर थाना क्षेत्र में गांव कोसमा में मामूर थे, कि जरिये खास मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति फिरोजाबाद तिराहा गांव रामलाल गढ़ी पर बैठा है। हम पुलिस वालों ने मुखबिर से पूछा कि फिर क्या बात है तो मुखबिर ने बताया तिराहे गांव रामलाल गढ़ी पर बैठा है। हम पुलिस वालों ने मुखबिर से पूछा फिर क्या बात है तो मुखबिर ने बताया कि तिराहे पर वह व्यक्ति लोगों से वाद विवाद कर रहा है और उसके पास अन्टी में तमंचा लगा है, जल्दी से जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर यकीन करके मुखबिर को साथ लेकर हम पुलिस वालों ने कोसमा से जल्दी चलकर फिरोजाबाद के समीप पहुॅचकर 100 मीटर पहले मुखबिर ने इशारा करके बताया जो हीरो जैसा लड़का है। इसी के पास तमंचा है। हम पुलिस वालों ने तेजी से चलकर एक बारगी दबिश देकर इस व्यक्ति को समय करीब 21:45 बजे पकड़ लिया, पकड़े हुए का नाम पता पूछते हुए जमा तलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम पवन यादव पुत्र भूप सिंह नि0 बारिक चौक कस्बा व थाना जलेसर जिला एटा बताया। इसकी जमा तलाशी से पहने हुए पेन्ट की बॉयी फैट से घुसा हुआ एक नाजायज तमंचा 315 बोर जिसकी कुल लम्बाई एक बालस्ट व नाल की लम्बाई 7 अंगूल लोहा, बड़ी की लम्बाई 4 अंगूल लोहा व बैटे की ल0 3 अंगूल जिस पर दोनों तरफ लकड़ी की चाप लगी है। जो एक स्क्रू से कसी है। तमंचे के ऊपर हैंगर व फायर पिन लगी है। तमंचे को खोलने व बांधने के लिए स्प्रिंग नुमा लोहे का एक बोल्ट लगा है। तमंचे के नीचे ट्रेगर व ट्रेगर गार्ड लगा है। जो दो पेचो से कसा है, पहने पैण्ट की दाहिनी जेब से 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। तमंचा रखने का लाईसेंस तलब

किया तो दिखाने से कासिर रहा और माफी मांगने लगा। अभियुक्त व बरामद माल को पुलिस कब्जे में लिया गया, आने जाने वाले व्यक्तियों से कहा गया तो सभी ने बुराई भलाई के कारण मना कर दिया। फर्द मौके पर एस0आई0 द्वारा का0 कुलदीप से लिखवाकर पढ़ाकर सुनाकर तैयार की गयी। टॉर्च की रोशनी से फर्द लिखवाई गयी। बरामद तमंचा व कारतूस को एक सफेद कपड़े में रखकर, सिलकर सील सर्वे मुहर कर नमूना मुहर लिया गया। सभी पुलिस हमराहीयान और अभियुक्त को फर्द पढ़कर सुनाई गयी और गवाही के साथ सभी के हस्ताक्षर बनवाये गये। अभियुक्त को फर्द बरामदगी कागज सं0–5अ को देखकर गवाह ने कहा कि फर्द है जो मैंने का0 कुलदीप से बोल–बोल कर लिखवायी थी। इस पर मेरे हस्ताक्षर है। मैं इसकी शिनाख्त करता हूॅ। इस पर प्रदर्श क–1 डाला गया है, उक्त के सम्बन्ध में विवेचनाधिकारी ने मेरे बयान लिये थे। खानगी जी0डी रपट सं0–24 समय 14:04 बजे दिनाक 08.03.2020 कागज सं0–7अ/2 के रूप में संलग्न पत्रावली है। मैं इसकी तसदीक करता हूॅ। माल मुकदमाती लेकर थाना पैरोकार जलेसर हाजिर अदालत है। माल एक सफेद कपड़ा मार्किंग जिस पर मुकदमा अपराध सं0–73/2020, धारा–3/25 आयुध अधिनियम थाना जलेसर बनाम पवन यादव अंकित है। न्यायालय के आदेश से इसकी सील ओर धागे को खोला गया तो इसमें अन्दर से निकले माल को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही नाजायज तमंचा 315 बोर चालू हालत में और जिंदा कारतूस नाजायज 315 बोर है। जो दिनांक 08.03.2020 को हाजिर अदालत मुलजिम पवन यादव के कब्जे से बरामद हुआ था। तमंचा पर वस्तु प्रदर्श क–1 एवं कारतूसों पर क्रमशः वस्तु प्रदर्शक 2 व 3 डाला गया।

11. साक्षी पीडब्लू–01 से जिरह ही गयी तो जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि मैंने अभियुक्त को फिरोजाबाद रामलाल गढ़ी थाना जलेसर, आगरा–जलेसर रोड तिराहे पर पकड़ा था। मैं मुल्जिम को पहले से जानता पहचानता नहीं था। मेरे थाने में इस सम्बन्ध में कोई एफ0आई0आर0 या शिकायत जानकारी में नहीं है। मैंने मुलजिम को अपराध सं0–73/20, धारा–3/25 आयुध अधिनियम में थाना जलेसर में गिर्फतार किया था। मैंने मुल्जिम को न्यायालय में पेश नहीं किया था, विवेचक ने किया था। मेरे द्वारा तमंचा के अलावा अन्य कोई वस्तु बरामद नहीं हुई है। मैंने तमंचा व कारतूस का परीक्षण नहीं कराया था। मैंने गिरफ्तारी में बरामदगी के समय चैक किया था तो चालू हालत में था। यह कहना गलत है कि मुझ पर अभियुक्त पवन यादव का वारण्ट था, जिसके कारण मैंने अभियुक्त पवन

के विरूद्व फर्जी तमंचा व कारतूस की बरामदगी दिखा दी थी। यह कहना गलत है कि मैंने आपसे अभियुक्त से तमंचा व कारतूस बरामद न किया हो।

12. पी0डब्लू02 का0 582 समय सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथ पर कथन किया है कि दिनांक 08.03.2020 को मैं थाना जलेसर पर कास्टेबिल के पद पर तैनात था, उसी दिन मैं कास्टेबिल समय सिंह हमराहियान एस0आई0 राम बहोरी शर्मा एच0सी0 छत्तर सिंह, का0 कुलदीप सिंह के साथ व हवाले रपट 24 समय 14:04 बजे वास्ते देखरेख शान्ति व्यवस्था रोकथाम जुर्म जरायम चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति में रवाना होकर थाना क्षेत्र में गांव कोसमा में मामूर थे, कि जरिये खास मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति फिरोजाबाद तिराहा गांव रामलाल गढ़ी पर बैठा है। हम पुलिस वालों ने मुखबिर से पूछा कि फिर क्या बात है तो मुखबिर ने बताया तिराहे गांव रामलाल गढ़ी पर बैठा है। हम पुलिस वालों ने मुखबिर से पूछा फिर क्या बात है तो मुखबिर ने बताया कि तिराहे पर वह व्यक्ति लोगों से वाद विवाद कर रहा है और उसके पास अन्टी में तमंचा लगा है हम पुलिस वालों ने तेजी से चलकर एक बारगी दबिश देकर इस व्यक्ति को समय करीब 21:45 बजे पकड़ लिया, पकड़े हुए का नाम पता पूछते हुए जमा तलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम पवन यादव पुत्र भूप सिंह नि0 बारिक चौक कस्बा व थाना जलेसर जिला एटा बताया। इसकी जमा तलाशी से पहने हुए पेन्ट की बॉयी फैट से घुसा हुआ एक नाजायज तमंचा 315 बोर जिसकी कुल लम्बाई एक बालस्ट व नाल की लम्बाई 7 अंगूल लोहा, बड़ी की लम्बाई 4 अंगूल लोहा व बैटे की ल0 3 अंगूल जिस पर दोनों तरफ लकड़ी की चाप लगी है। जो एक स्क्रू से कसी है। तमंचे के ऊपर हैंगर व फायर पिन लगी है। तमंचे को खोलने व बांधने के लिए स्प्रिंग नुमा लोहे का एक बोल्ट लगा है। तमंचे के नीचे ट्रेगर व ट्रेगर गार्ड लगा है। जो दो पेचो से कसा है, पहने पैण्ट की दाहीनी जेब से 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। तमंचा रखने का लाईसेंस तलब किया तो दिखाने से कासिर रहा और माफी मांगने लगा। अभियुक्त पर जुर्म धारा–3/25 आयुध अधिनियम की हद तक पहुॅचता है। अभियुक्त व बरामद माल को पुलिस कब्जे में लिया गया, आने जाने वाले व्यक्तियों से कहा गया तो सभी ने बुराई भलाई के कारण मना कर दिया। फर्द मौके पर एस0आई0 द्वारा का0 कुलदीप से लिखवाकर पढ़ाकर सुनाकर तैयार की गयी। टॉर्च की रोशनी से फर्द लिखवाई गयी। बरामद तमंचा व कारतूस को एक सफेद कपड़े में रखकर, सिलकर सील सर्वे मुहर कर नमूना मुहर लिया गया। दौरान गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार के आदेशो और निर्देशों का पालन किया गया। सभी कर्मचारियों से गवाही व गवाहान

करायी जाती है। गिरफ्तार की सूचना इसके छोटे भाई पंकज को मोबाइलनं0–9012481293 पर की गयी। बरामदगी फर्द पर सभी हमराहीयान के हस्ताक्षर करवाये गये, फर्द की एक प्रति अभियुक्त को देकर उसके भी अलामात बनवाये गये। गवाह ने फर्द बरामदगी कागज सं0–5अ को देखकर कहा कि इस पर मौहर हस्ताक्षर है, मैं इसकी शिनाख्त करता हूॅ। इस पर पहले से ही प्रदर्श क–1 पड़ा है। घटना के सम्बन्ध में विवेचक ने मेरे बयान लिये थे।

13. साक्षी पीडब्लू–02 से जिरह ही गयी तो जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि मैंने अभियुक्त को रामलालगढ़ी फिरोजाबाद तिराहे पर पकड़ा था। इस घटना से पहले मैं अभियुक्त को नहीं जानता था। जब पुलिस टीम अभियुक्त को पकड़ा तो उसके पहले अभियुक्त के विरूद्व थाने पर कोई एफ0आई0आर0 दर्ज था या नहीं, इस सम्बन्ध में मुझे जानकारी नहीं है। मैंने अभियुक्त को न्यायालय में पेश नहीं किया था, इस सम्बन्ध में विवेचक ही बता सकते है। इस तमंचे और कारतूस के अलावा कोई अन्य वस्तु, रूपये किसी एफ0आई0आर0 की कापी बरामद नहीं थी। अभियुक्त के विरूद्व फर्जी व कारतूस का मुकदमा नही लिखाया है। इस घ ाटना के पहले या बाद में हमने अभियुक्त को तमंचे के साथ नहीं पकड़ा था। जब अभियुक्त से तमंचे की बरामदगी दिखाई थी तो वह चालू हालत में था। तो तमंचा बरामद दिखाया गया है, उस तमंचे की जांच के विषय में विवेचक ही बता सकते है। यह कहना गलत है कि पुलिस टीम ने अधिकारियों को गुडवर्क दिखाने के लिए अभियुक्त से तमंचा व कारतूसों की फर्जी बरामदगी दिखाई थी। मुझे ध्यान नहीं है कि मैं अभियुक्त के विरूद्व किसी अन्य मुकदमें मे गवाह हूॅ।

14. पी0डब्लू03 एच0सी0 1445 जगवीर सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथ पर कथन किया है कि दिनांक 08.03.2020 को मैं थाना जलेसर जनपद एटा में सी0सी0 के पद नियुक्त था, उस दिन समय 23:53 बजे वादी उपनिरीक्षक रामबहोरी शर्मा के द्वारा दिये गये फर्द बरामदगी एक तमंचा 315 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के आधार पर मेरे द्वारा अभियुक्त पवन यादव पुत्र भूप सिंह नि0 बारीकी चौक कस्बा व थाना जलेसर के विरूद्व धारा–3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था, मेरे द्वारा फर्द तहरीर के आधार पर तहरीर की नकल शब्द दर शब्द बोलकर का0 1202 अभिषेक सिंह के द्वारा कम्प्यूटरीकृत करायी गयी, चिक एफ0आई0आर0 कागज सं0–4अ/1 लगायत 4अ/2 को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही चिक है, जो मेरे द्वारा लिखायी गयी, इस पर प्रभारी निरीक्षक जलेसर एटा के एवं क्षेत्राधिकारी जलेसर के

हस्ताक्षर है, मैं इसकी तसदीक करता हूँ। इस पर प्रदर्श क–2 डाला गया है। उक्त चिक एफ0आई0आर0 सं0–73 / 20 धारा–3 / 25 आयुध अधिनियम का खुलासा मेरे द्वारा कायमी रपट सं0–46 दिनांक 08.03.2020 में किया गया, उक्त कायमी जी0डी0 कागज सं0–7अ / 1 जिस पर थाना को0 जलेसर, की सील व हस्ताक्षरित है। मैं इसकी तसदीक करता हूँ। इस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। उक्त अभियोग की विवेचना एस0आई0 उमेश चन्द्र को दी गयी थी, उक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा द्वारा मेरे बयान लिये गये थे। **साक्षी पीडब्लू–03 से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी तथा ना ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस कारण जिरह निल की गयी।**

15. साक्षी पीडब्लू–04 उमेश चन्द्र सेवानिवृत उपनिरीक्षक द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मै दिनांक 09.03.2020 को थाना जलेसर पर उप निरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन मुझे मुकदमा अपराध संख्या 73 सन 2020 धारा–3 / 25 आयुध अधिनियम बनाम पवन यादव की विवेचना प्राप्त हुयी मेरे द्वारा दिनांक 09.03.2020 को केश डायरी का पहला पर्चा टंकित कराकर किता किया गया जिसमें मेरे द्वारा नकल फर्द बरामदगी नकल रपट वापसी, नकल गिरफतारी मेमो, को किता करने के बाद बयान एफ0आई0आर0 लेखक सी0सी0 जगवीर सिंह एवं बयान वादी उपनिरीक्षक रामबहोरी शर्मा व अभियुक्त पवन यादव का बयान अंकित किया गया। दिनांक 18.03.2020 को मेरे द्वारा केस डायरी का पर्चा संख्या 02 किता किया गया। जिसमें मजीद बयान वादी उप निरीक्षक रामबहोरी शर्मा एवं फर्द के गवाहन एच0सी0 छतर सिंह, का0 समय सिंह, व का0 कुलदीप सिंह, का बयान अंकित करने के पश्चात का0 समय सिंह, की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया। नक्शा नजरी कागज संख्या 08अ को देखकर साक्षी ने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त किया इसमें प्रदर्श क–04 डाला गया। मेरे द्वारा दिनांक 27.04.2020 को केस डायरी का पर्चा संख्या 03 किता किया गया। तब तक कि तमामी विवेचना बयान वादी, बयान गवाहन, व निरीक्षण घटना स्थल से अभियुक्त पवन यादव पुत्र भूप सिंह निवासी–बारी का चौक कस्वा व थाना जलेसर एटा के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया गया। आरोप पत्र कागज संख्या 03अ / 01 व 03अ / 02 को देखकर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया इस पर प्रर्दश क–05 डाला गया। दिनांक 26.05.2020 को मेरे द्वारा पूरक केस डायरी का पर्चा संख्या 01 किता किया गया। जिसमें तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट श्री सुखलाल

भारती के द्वारा प्रदान की गयी। अभियोजन स्वीकृत को किता किया गया। मैने राजकीय कार्य के दौरान जिला मजिस्ट्रेट श्री सुखलाल भारती को हस्ताक्षर करते देखा है। उनके हस्ताक्षर से भली भॉति परिचित हूॅ। पत्रावली पर संलग्न कागज संख्या 09अ पर उनके हस्ताक्षर है मैं इसकी शिनाख्त करता हूॅ इस पर प्रदर्श क–06 डाला गया है।

16. साक्षी पीडब्लू–04 से बचाव पक्ष द्वारा जिरह की गयी है कि साक्षी ने कथन किया है कि मैंने जब विवेचना गृहण की थी, उसके दो माह पहले मैं थाने पर तैनात हुआ था, विवेचना गृहण के उपरान्त वादी के बयान मैंने दूसरी दिन लिये थे, फिर कहा कि उसी दिन ले लिये थे। यह बयान थाने पर लिया था। अन्य गवाहान के बयन 8 दिन बाद लिये थे। नक्शा नजरी मौके पर गढी रामलाल तिराहे पर थी। घटनास्थल से पूरब व पश्चिम साइड में रोड गया है। उत्तर साइड में बालिस्टर व रामबल का मकान है, दक्षिण में मन्दिर है। यह कहना गलत है कि उच्चाधिकारियों को अच्छा कार्य दिखाने के लिए अभियुक्त के विरूद्व गलत आरोप पत्र गलत विवेचना कर प्रेषित किया। यह कहना भी गलत है कि मैंने घटना स्थल का निरीक्षण ना किया हो। यह कहना भी गलत है कि अभियुक्त को उसके घर से पकड़ कर झूठा चालान किया हो।

17. बचाव पक्ष की ओर से बहस के दौरान प्रथम तर्क यह रखा गया है कि पत्रावली पर आरमोरर रिपोर्ट / विशेषज्ञ रिपोर्ट सम्बन्धित तमंचे की बाबत पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा दूसरा तर्क यह रखा गया है कि पत्रावली पर किसी भी स्वतंत्र साक्षी को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है, जबकि अभियुक्त की गिरफ्तारी ग्राम रामलालगढ़ी फिरोजाबाद तिराहा से होने का कथन किया गया है। गिरफ्तारी का समय 21:45 बजे पर बताया गया है।

18. अभियोजन पक्ष की ओर से आरमोरर रिपोर्ट / विशेषज्ञ रिपोर्ट के सम्बन्ध में तीन विधि व्यवस्था माननीय उच्चतम न्यायालय की गयी है, जिनमें

प्रथम विधि व्यवस्थाः–**जनरैल सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब 1999 एससीसीआर 463 एस.सी. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि** Even in absence of any evidence of an armourer or an expert of that type evidence of a police officer who is trained in handing guns can be accepted.

द्वितीय विधि व्यवस्था **हनरेक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1999 एस.सी. सी.132 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है**

कि –Police officers competent enough to depose about the working condition of the weapon with reasonable certainty that it was in a working condition.

तृतीय विधि व्यवस्था कश्मीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1999 (1) एस. सी.सी. 130 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि –It can be presumed that the pistol was in working order- That apart two live cartridges also recovered from the accused for which he offered no explanation.

अभियोजन पक्ष की ओर से स्वतंत्र साक्षियों को परीक्षित न कराये जाने के सम्बन्ध में दों विधि व्यवस्था–

रोहताश कुमार बनाम हरियाणा राज्य 2013 (82) एसीसी 401 एस.सी. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि –Evidence of police official- Must be subject to strict scrutiny- Not to be discarded merely on force- No prohibition in law that policeman official cannot be witness or his desposition cannot be relied upon.

कश्मीरा सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब 1999(1) एस.सी.सी. 130 में में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि –In he circumstances, absence of independant witness to support the recory not fatal. Conviciton on the basis of evidence of police officials not bad .

19- अभियोजन पक्ष की ओर से बहस के दौरान यह भी कथन कया गया है कि विवेचना में की गयी खामियों का लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता। इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से एक विधि व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **हेमा बनाम स्टेट द्वारा इंस्पेक्टर आफ पुलिस मद्रास 2013 (81) ए.सी.सी.1 एस.सी. प्रस्तुत की गयी है जिसमें प्रतिपादित किया गया है कि** It is clear that merely because of some defect in the investigation lapse on the part of the I.O. it cannot be a ground accuittal. Further even if there had been negligence on the part of the investigating agency of omissions etc. It is the obligation on the part of the court to scrutinize the prosecution evidecne de hors such lapses to find out whether the said evidence is reliable or not and whether such lapses affect the object of finding out the truth.

20- परीक्षित साक्षीगण ने अपने बयान में मौके पर अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने व फर्द बरामदगी मौके पर तैयार किये जाने के तथ्य को साबित किया है। आरमोरर रिपोर्ट /विशेषज्ञ रिपोर्ट के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तीनों विधि व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए बचाव पक्ष का यह कहना कि

आरमोरर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है। इससे कोई प्रभाव मामले के गुण दोष पर नहीं पड़ता है।

21. बचाव पक्ष की ओर से जहॉ तक स्वतंत्र साक्षियों को परीक्षित न कराये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **रोहताश कुमार बनाम हरियाणा राज्य 2013 (82) एसीसी 401 एस.सी. एवं कश्मीरा सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब 1999(1) एस.सी.सी. 130** में कहा गया है कि मात्र स्वतंत्र साक्षियों को परीक्षित न करोय जाने के आधार पर पत्रावली पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य को दरकिनार नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के उपरान्त फर्द तैयार की गयी। फर्द में मौके पर ही पुलिस ने यह इन्द्राज किया है कि दौरान गिरफ्तारी आसनाहराह से जनता के गवाहान फराहम करने का प्रयास किया, परन्तु भलाई बुराई के कारण कोई नहीं मिल सका। अतः मौके पर पुलिस ने स्वतंत्र साक्षियों की गवाही को अंकित करने का प्रयास किया गया, परन्तु भलाई बुराई के कारण कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं मिल सका। साक्षियों के बयान में छोटा मोटा विरोधाभाष आया है, इससे घटना के घटित होने पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है।

22. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त का आपराधिक इतिहास पेश करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्व कई संगीन मुकदमे दर्ज है एवं अभियुक्त का नाम थाना जलेसर की टॉप 10 अपराधी में सूचीबद्व है। जिससे स्पष्ट होता है कि अभियुक्त अपराध करने का अभ्यस्त है।

23. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत कराये गये साक्षीगण के साक्ष्य का अवलोकन किया गया, जिसमें कोई तात्विक विरोधाभाष नहीं है। इस सम्बन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयत विधि **अप्पा भाई बनाम गुजरात राज्य 1998 सुप्रीम कोर्ट कोर्ट पेज 694 में** यह अवधारित किया गया है कि न्यायालय में साक्ष्य में छोटी मोटी कमियों अर्थात विरोधाभाष को वरीयत नहीं देनी चाहिए। ऐसी स्थिति में छोटे मोटे विरोधाभाष होने पर उसका कोई लाभ बचाव पक्ष को नहीं दिया जा सकता।

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **गिरजा प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 2007 एस.सी.डब्लू. पेज 558** में यह अवधारित किया गया है कि पुलिस साक्षी के साक्ष्य को इस आधार पर नहीं नकारा जा सकता है कि वह पुलिस विभाग से सम्बन्धित है। ऐसा साक्ष्य भी दोषसिद्वि के आधार हो सकता है।

25. उपरोक्त समीक्षा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण द्वारा घटना का पूर्ण रूप से समर्थन किया गया है

और साक्षीगण की साक्ष्य विश्वसनीय प्रकृति का है। बचाव पक्ष द्वारा साक्षीगण से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी है, परन्तु कोई भी तात्विक विरोधाभाष नहीं है। अभियुक्त के बरामदशुदा माल न्यायालय के समक्ष साबित किया गया है। अभियुक्त की ओर से उक्त शस्त्र को रखने का कोई लाईसेंस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–3/25 आयुद्व अधिनियम को संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है। अतः अभियुक्त पवन यादव को धारा–3/25 आयुध अधिनियम के आरोप में दोष सिद्व किये जाने योग्य है। तदनुसार अभियुक्त पवन यादव को धारा–3/25 आयुध अधिनियम के आरोप में दोष सिद्व किया जाता है। अभियुक्त जिला कारागार से तलब होकर न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्त के बंध पत्र निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक
05.06.2023

(मंगलदेव सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जलेसर, एटा

भोजनावकाश उपरांत.

26. पत्रावली अभियुक्त को दण्ड के बिन्दु पर सुने जाने हेतु पुनः पेश हुई। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित हैं।

27. अभियुक्त तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी को दण्ड के बिन्दु पर सुना गया।

28. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त अपने परिवार में अकेला कमाने वाला व्यक्ति है, उसे परिवीक्षा अधिनियम/धारा 360 द0प्र0सं0 का लाभ प्रदान करने की याचना की गयी है।

29. जबकि विद्वान अभियोजन अधिकारी की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है। अभियुक्त दया का पात्र. नहीं है।

30. उल्लेखनीय है कि अभियुक्त का पूर्व में लम्बा आपराधिक इतिहास है। जिसमें गंभीर प्रकृति के अपराध जैसे संगीन आपराधिक इतिहास है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम/धारा–360 द0प्र0सं0 का लाभ दिया

जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

31. अभियुक्त को धारा उपरोक्त प्रकरण में निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाता है।

दण्डादेश

अभियुक्त **पवन यादव** को **दण्डवाद सं0–4027 / 2022** मु0अ0सं0–73 / 2020 के मामले में **धारा 3 / 25 भा0दं0सं0, थाना जलेसर, जिला एटा के** के अंतर्गत **03 वर्ष (तीन वर्ष) के कारावास** के दण्ड से एवं मुव0 **5,000 / –रू0 (पांच हजार रू0) के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने की दशा में अभियुक्त को **01 माह (एक माह)** का अतिरिक्त साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

दौरान विचारण जेल में बिताई गई अवधि दण्डादेश में समायोजित की जायेगी। अभियुक्त से बरामदशुदा माल वाद म्याद अपील नियमानुसार नष्ट किया जाये।

अभियुक्त को आदेश की प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक
05.06.2023

(मंगल देव सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जलेसर, एटा

निर्णय, आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एंव दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक
05.06.2023

(मंगल देव सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जलेसर, एटा

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जलेसर, एटा।

Digitally signed by MANGALDEV SINGH
Date: 2023.06.05 16:19:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court